(23) (12)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

समक्ष : आर. के.मिश्रा

सदस्य

प्रकरण कमांक II/निगरानी/सतना/भू0रा0/2018/2537 विरूद्व आदेश दिनांक 11–4–2018 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा सभांग रीवा का प्रकरण 04/2017–18/पुर्नाविलोकन

छोटेलाल पुत्र श्री रघुवंश प्रसाद
निवासी ग्राम करही लामी, तहसील
अमरपाटन जिला सतना म0प्र0

.....आवेदक

बनाम

1. राजकुमार त्रिपाठी पुत्र स्व0 श्री रामनरेश त्रिपाठी
   निवासी ग्राम करही लामी, तहसील
   अमरपाटन जिला सतना म0प्र0
2. शिवकुमार त्रिपाठी पुत्र स्व0 श्री रामनरेश त्रिपाठी
   निवासी ग्राम करही लामी, तहसील
   अमरपाटन जिला सतना म0प्र0
3. संजीव कुमार त्रिपाठी पुत्र स्व0 श्री रामनरेश त्रिपाठी
   निवासी ग्राम करही लामी, तहसील
   अमरपाटन जिला सतना म0प्र0

.....अनावेदकगण

श्री एस0एल0 धाकड़, अभिभाषक, आवेदक
श्री एस0के0 खरे, अभिभाषक, अनावेदकगण

: : आ दे श : :

(आज दिनांक 4/2/19 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म0प्र0 भू– राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त रीवा सभांग रीवा के आदेश दिनांक 11–4–2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि विवातिद आरजी कमांक 154/2 रकवा 1.619 मौजा बरदहा में आवेदक 1/2 हिस्सा एवं पैतृक आराजी बताते हुये बटवारे का आवेदन प्रस्तुत किया। उक्त बटवारे में तहसीलदार अमरपाटन द्वारा कार्यवाही करतेह ुये अनावेदकगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर बटवारा आदेश दिनांक 04–7–2016 पारित किया। तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध अनावेदकगण ने प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी अमरपाटन जिला सतना के समक्ष प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 16–3–2017 से अपील निरस्त की। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष प्रस्तुत की। अपर आयुक्त रीवा ने आदेश दिनांक 22–11–2017 से अपील सारहीन होने से निरस्त की। अपर आयुक्त के इस आदेश के विरूद्ध पुनर्विलोकन आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त ने आदेश दिनांक 11–4–2018 को पुनर्विलोकन आवेदन स्वीकार कर अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त के आदेश निरस्त किये। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्को के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार के समक्ष बटवारे हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था जहां एकपक्षीय आदेश पारित किया गया जिसे अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा स्थिर रखा गया था। पुनर्विलोकन आदेश में तीनों आदेश को निरस्त किया है। म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 सहपठित व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 47 नियम 1 में पुर्नविलोकन हेतु किसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलना जो सम्यक् तत्परता के पश्चात भी उस समय जब आदेश किया गया था, उस पक्षकार के ज्ञान में नहीं थी अथवा उसके द्वारा पेश नहीं की जा सकती थी, या मामले के अभिलेख से ही प्रकट कोई भूल या गलती, या कोई अन्य पर्याप्त कारण होने चाहिए तभी पुनर्विविलोकन स्वीकार किया जा सकता है। अपर आयुक्त द्वारा पुनर्विलोकन आवेदन स्वीकार किया है वह त्रुटिपर्ण है। पुनर्विलोकन के आधार जो म0प्र0

भू–राजस्व संहिता में उल्लिखित है, उसमें से कोई भी आधार इस प्रकरण में लागू नहीं होते हैं। अतः अपर आयुक्त रीवा का प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 11–4–2018 निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि उभय पक्ष को सुनवाई कर विधिक आधारों एवं तथ्यों पर विचार करने के उपरांत विधिअनुसार निर्णय पारित करें।

04/02/2019

(आर0 के0 मिश्रा)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,मध्यप्रदेश,
ग्वालियर